

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, बांका के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 07 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 300000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 210000/- (दो लाख दस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 510000/- (पाँच लाख दस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/ पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक के पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का खीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3		4	5	6	8	9
1	स्व० इमामुल हक, 50, श्री शफीक अंसारी, अ० पि० वर्ग	श्रीमती तेहर बेगम(पत्नी)	183/21.08. 19	ग्रा०-डुमरगा वार्ड सं० 01, पो०-डुमरगा, धा०+प्र०-अमरपुर, बांका	147901100 67048	यूको बैंक, डुमरगा, UCBA0001479	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, हस्तकरवा चुनकर
2	स्व० निरंजन साह, 47, श्री सहदेव साह, पि० वर्ग	श्रीमती सुमित्रा देवी(पत्नी)	184/21.08. 19	ग्रा०-डफरपुर, पो०+धा०+प्र०-बाराहाट, बांका	501700069 96345	बंधन बैंक,बांका, BDBL0001103	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पट्टी दुकानदार
3	स्व० कैलाश ठाकुर, 53, स्व० छेदी ठाकुर, अ० पि० वर्ग	श्रीमती भगवती देवी(पत्नी)	185/21.08. 19	ग्रा०-खडिहार, पो०-हरिपुर, धा०+प्र०-बाराहाट, बांका	336079960 19	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ए०डी०बी० बांका, SBIN0002230	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दादी बाल बचाने का काम
4	स्व० मो० हासिम, 19, अ० पि० वर्ग	मो० इसराईल(पिता)	186/21.08. 19	ग्रा०-कटियामा, पो०-संझा(कटरंग), धा०+प्र०-रजौन, बांका	370401100 62505	बिहार ग्रामीण बैंक, रजौन बांका, PUNBOMBGB0 6	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, टुक मिस्त्री
5	स्व० चमेली देवी, 49, श्री दीपन देवी, अ० पि० वर्ग	श्रीमती रंजु देवी(पत्नी)	187/21.08. 19	ग्रा०-गोकुला, पो०-गोकुला कुरवा, धा०+प्र०-बौसी, बांका	580210110 003536	बैंक ऑफ इंडिया, बौसी, बांका, BKID0005802	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण में दैनिक मजदूर
6	स्व० बालचंद्र दास, 48, स्व० धूरो दास, अनु० जाति	श्रीमती संगीता देवी(पत्नी)	188/21.08. 19	ग्रा०+पो०-गोकुला, धा०+प्र०-बौसी, बांका	124501100 16213	यूको बैंक, श्यामबाजार, बौसी, बांका, UCBA0001245	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण में दैनिक मजदूर
7	स्व० मुना कुमार उर्फ मुना यादव, 30, श्री ब्रह्मदेव यादव, पि० वर्ग	श्रीमती कल्पना कुमारी(पत्नी)	189/21.08. 19	ग्रा०/मो०-बाबूटोला, पो०+धा०+प्र०+जि०-बांका	462610510 003078	बैंक ऑफ इंडिया, बांका, BKID0004626	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण में दैनिक मजदूर
8	स्व० रतफ अंसारी.51. स्व० सिदौक अंसारी, अ० पि० वर्ग	श्रीमती मो० सकौला(पत्नी)	190/21.08. 19	ग्रा०-कटोरिया, पो०-शोभानपुर कटोरिया, धा०+प्र०-अमरपुर, बांका	580110110 006512	बैंक ऑफ इंडिया, अमरपुर, बांका, BKID0005801	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण में अकुशल मजदूर
9	स्व० नरेश मंडल, 52, स्व० धुपत मंडल उर्फ धनपत मंडल, अनु० जाति	श्रीमती गीता देवी(पत्नी)	191/21.08. 19	ग्रा०-कानीगाँविया, पो०-चुटिया, धा०+प्र०+जि०-बांका	147732110 14256	यूको बैंक, ककवार, बांका, UCBA0001477	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राज मिस्त्री
10	स्व० विजय दास, 38, स्व० राम किशन दास, अ० पि० वर्ग	श्रीमती सुनैना देवी(पत्नी)	192/21.08. 19	ग्रा०+पो०-साहेबगंज, धा०+प्र०-बेलहर, बांका	136901100 89224	यूको बैंक, साहेबगंज, बांका, UCBA0001369	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का कार्य

कुल :- ₹ 510000/-

(पाँच लाख दस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-30/2019 के पृष्ठ-08/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-30/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-30/2019-390

पटना, दिनांक :- 14-11-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 510000/- (पाँच लाख दस हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।